

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोडा।

पत्रांक 235 / आठ-भू0अ0 / वि0भू0अ0अ0 / 2020

दिनांक: 22-07-2020 ।

:- अधिसूचना :-

उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-5 संख्या 1057 / XX(5)20-02(अर्द्ध0सै0) / 2019 देहरादून: दिनांक 13 जनवरी, 2020 से राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्व साधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि लोक प्रयोजनार्थ जनपद अल्मोडा में ग्राम कटारमल परगना बारामण्डल में माउन्टेन ड्राइविंग स्कूल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना हेतु, अनुसूची में उल्लिखित 0.150 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

चूंकि धारा-40 के अधीन अत्यावश्यकता सम्बन्धी उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए उक्त अधिनियम की धारा 9 के अनुसार समुचित सरकार को सामाजिक प्रभाव निर्धारण अध्ययन कराने से छूट प्रदान करने की शक्ति दी गयी है,

अतएव, अब, राज्यपाल की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए यह निर्देश देते हैं, कि यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है तथापि राज्यपाल उक्त लोक प्रयोजन के लिए धारा 40 की उपधारा (1) के उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित करते हैं:-

- अनुसूची-

जिला	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (है0)
1	2	3	4	5
अल्मोडा	बरामण्डल	कटारमल	8353	0.024
			8359	0.035
			8360	0.026
			8361	0.065
			योग	0.150

किस प्रयोजन के लिए आवश्यक है:- ग्राम- कटारमल परगना बारामण्डल में माउन्टेन ड्राइविंग स्कूल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना के प्रयोजन के लिए।

टिप्पणी-भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलैक्टर अल्मोडा के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

ह0/-
(नितेश कुमार झा)
सचिव ।

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अल्मोडा।

पत्रांक 235 / आठ-भू0अ0 / वि0भू0अ0अ0 / 2020

दिनांक: 22-07-2020 ।

प्रतिलिपि:

- 1- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोडा को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की विज्ञप्ति सूचना को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
अल्मोडा।